भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 360
25/07/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में लू के कारण मौतें

360. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में देश में लू के कारण कुल कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए हीट एक्शन प्लान (एचएपी) को एक व्यापक ढांचे के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे राज्यों और शहरों में जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, संबंधित प्राधिकरण के तहत हीट एक्शन प्लान (एचएपी) बनाने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या हीट एक्शन प्लान (एचएपी) के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए संसाधन आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुसार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना, उसके बाद तापमान और लू की स्थितियों का विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जारी करना।
ii. राज्य सरकार के प्राधिकरणों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने और उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद करने के लिए संपूर्ण भारत में जिलावार लू संवेदनशीलता एटलस।
iii. भारत में गर्म मौसम के खतरे का विश्लेषण जिसमें दैनिक तापमान, पवनें और आर्द्रता की स्थिति शामिल है।
iv. पूरे देश के लिए लू सूचकांक पूर्वानुमान और जिला स्तरों पर लू की स्थितियों का प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान।

v. वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय में लू की सूचना और चेतावनियां।

vi. लू की स्थितियों से प्रभावित 23 राज्यों में लू कार्य योजना (एचएपी) को राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया।

vii. समय पर सार्वजनिक पहुंच के लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम आदि जैसी प्रसारण प्रणालियों के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के साथ-साथ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रसारण सेवाओं में सुधार।

(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) भी लू की संभावना वाले सभी राज्यों, भारत सरकार के संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों, ज्ञान-साझेदारों तथा अन्य हितधारकों के साथ वार्षिक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करता है, ताकि लू आरंभ होने से पहले लू प्रबंधन तथा शमन के लिए राज्यों की तैयारी की समीक्षा की जा सके। लू के मौसम के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) राज्यों और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित करता है, तथा विद्यमान लू स्थिति के अनुसार आवश्यक परामर्शिकाएं जारी करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) समय-समय पर सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जागरुकता अभियान भी चलाता है, ताकि आम लोगों को लू के मौसम के दौरान तैयारी, सावधानियों एवं सुरक्षा-उपायों के बारे में सूचित, शिक्षित, एवं जागरुक किया जा सके।

(ङ) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास सहायता के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के माध्यम से अपने संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार इस पर विचार करती है।

अनुलग्नक-1

2018-2022 के दौरान लू/आतपाघात के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मृत्यु:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्रप्रदेश	97	128	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	3	0	0	1
4	बिहार	64	215	53	57	78
5	छत्तीसगढ	1	16	3	2	11
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	31	27	12	8	5
8	हरियाणा	56	46	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
10	झारखंड	42	88	23	33	47
11	कर्नाटक	0	4	1	0	2
12	केरल	1	3	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	15	33	7	2	27
14	महाराष्ट्र	128	159	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0	0	0
16	मेघालय	4	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	40	84	13	15	38
20	पंजाब	38	90	110	91	130
21	राजस्थान	43	54	23	1	12
22	सिक्किम	0	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	0	2	2
24	तेलंगाना #	107	156	98	43	62
25	त्रिपुरा	1	1	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	176	117	50	35	130
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	46	49	6	11	18
	कुलराज्य	**890**	**1274**	**530**	**374**	**729**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव @ +	0	0	0	0	0

32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	1
33	जम्मू और कश्मीर @ *	0	0	0	0	0
34	लद्दाख@	-	-	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**890**	**1274**	**530**	**374**	**730**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' 2013-2019 के दौरान तत्कालीन दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकडे

'*' 2013-2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकडे

'#' 2014 के दौरान नव सृजित राज्य के आंकडे

'@' 2020 में नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र के आंकडे

स्रोत:राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय

*****